जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 22.04.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	अभियुक्त का नाम व पता
1	किरतपुर	ब्रजपाल उर्फ विक्की पुत्र गिरधारी नि0 ग्राम मोचीपुरा थाना किरतपुर बिजनौर
2	किरतपुर	राकेश कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम भरैकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3	किरतपुर	रविन्द्र कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर सुक्खा थाना किरतपुर बिजनौर
4	किरतपुर	राहुल पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम मोचीपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5	किरतपुर	शाहिर पुत्र अजीज निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6	किरतपुर	सत्यवीर पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7	किरतपुर	मुन्नू पुत्र कन्हैय़ा निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
8	किरतपुर	जरीफ पुत्र सफीक निवासी मौ0 कस्साबान कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
9	किरतपुर	सरफराज पुत्र महराज निवासी मौ0 मलकान कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
10	किरतपुर	संजय पुत्र फुस्सन निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
11	किरतपुर	चन्द्रभान पुत्र बुद्धू सिंह निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 22.04.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 83/2025 धारा 304(2)/324(4)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.04.2025 को वादी श्री चेतन सिंह पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम बढापुर सीकरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी काजल के साथ स्कूटी से अपने घर नजीबाबाद जा रहा था कि ग्राम मोजीपुर धर्मा भट्टे के पास स्पलेन्डर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने पीछे से आकर वादी की पत्नी का पर्स छीनकर भाग गये, जिसमें मोबाइल फोन, ₹ 10,000 /- व आईडी थी। इस दौरान वादी की स्कूटी भी फिसलकर गिर गयी तथा टूट गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 83/2025 धारा 304(2)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विशाल पुत्र लल्लू सिह निवासी ग्राम गुजरपुरा जसराम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.निखिल पुत्र राजीव निवासी ग्राम बैबलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.सागर पुत्र राकेश निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अमन सिंह पुत्र चेतराम निवासी गंगोडा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमन सिंह पुत्र चेतराम निवासी गंगोडा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1100 रुपये नकद व एक सीजशुदा मोटर साईकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उपनिरीक्षक ललित कुमार थाना किरतपुर बिजनौर
2.हे0कां0 618 सन्नीराज थाना किरतपुर बिजनौर
3.हे0कां0 270 अनुराग कुमार थाना किरतपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात **दिनांक – 22.04.2025**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/61(2)/351(3)/126(2) बी0एन0एस0 से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.04.2025 को समय प्रातः करीब 09:20 बजे थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करौंदा चौधर में शिवांक त्यागी पुत्र सुशील त्यागी ने प्रेम-प्रसंग के चलते गांव की ही रहने वाली लडकी भावना विश्वकर्मा पुत्री वेद प्रकाश शर्मा के सिर में गोली मार दी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा शीघ्रता से घायल भावना उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी है। घटना के सम्बंध मृतका के पिता श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा प्रतिवादीगण 1.शिवांग त्यागी पुत्र सुशील त्यागी 2.सुशील त्यागी पुत्र शिवदयाल त्यागी 3.शैली त्यागी पत्नी सुशील त्यागी निवासीगण ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 4.नितिन त्यागी पुत्र नामालूम निवासी रुहाना मिल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध षडयन्त्र के तहत वादी की पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/61(2)/351(3)/126(2) बी0एन0एस0 बनाम शिवांग आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उक्त घटना के मुख्य अभियुक्त शिवांग त्यागी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उक्त घटना में वांछित अभियुक्त सुशील त्यागी पुत्र शिवदयाल त्यागी को गिरफ्तार किया गया है तथा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त शादाब कादरी पुत्र कल्लन कादरी निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को भी गिरफ्तार किया गया है।

नोट – घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त शिवांग त्यागी द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा शादाब कादरी से खरीदा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सुशील त्यागी पुत्र शिवदयाल त्यागी निवासी करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.शादाब कादरी पुत्र कल्लन कादरी निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.कां 2059 अभय चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

4.का0 222 जसवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात **दिनांक – 22.04.2025**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीरज पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुर उर्फ राण्डोवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 70/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त हर्ष उर्फ हर्षित त्यागी पुत्र सुनील त्यागी निवासी ग्राम बेगराजपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 71/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नीरज पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुर उर्फ राण्डोवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.हर्ष उर्फ हर्षित त्यागी पुत्र सुनील त्यागी निवासी ग्राम बेगराजपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 अवैध तमंचे व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

4-आरक्षी 2059 अभय चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

5- का0 222 जसवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

6-हे0का0 285 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

7-का0 1864 कृष्ण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात दिनांक – 22.04.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 74/2025 धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.03.2025 को वादी श्री वाजिद पुत्र अ0 रशीद निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वादी का भतीजा गन्ना क्रेशर पर गन्ना तुलवाने के लिये गया था। इसी दौरान गन्ना क्रेशर पर काम कर रहे 1.राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2.अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3.कोमल उर्फ छोटू पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर व दो व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के भाई कामिल व भतीजे फिरोज के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी व गाली – गलौज करत हुए जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 74/2025 धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस बनाम राहल आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी 2.अंकित पुत्र राजेन्द्र 3.कोमल उर्फ छोटू पुत्र शेर सिंह निवासीगण ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 4.कपिल कुमार उर्फ खली पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी शादीपुर कलां थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में लकडी के डंडे सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3.कोमल उर्फ छोटू पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम साबूवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.कपिल कुमार उर्फ खली पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी शादीपुर कलां थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

लकडी के डंडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3.कां0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.कां0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
5.कां0 1299 नितिन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
6.कां0 1816 सुमित नैन थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 22.04.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम मोलावाला उर्फ तकीपुर घासी के जंगल में दो गौवंशीय पशुओं के सिर के अवशेष मिले थे। इस सम्बंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.04.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त हनीफ पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हनीफ पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 177/2009 धारा 323/504/506/324 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक अपराध श्री नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. का0 1649 अमित भाटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2027 विपुल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 22.04.2025**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 93/2025 धारा 65(2)/333/351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.04.2025 को वादिया ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त हारिस पुत्र नईम निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने वादिया के घर मे घुसकर वादिया की पुत्री के साथ गलत कार्य किया व जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 93/2025 धारा 65(2)/333/351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हारिस पुत्र नईम निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हारिस पुत्र नईम निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी धीरज सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 सुभाष तोमर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. का0 2609 दिनेश कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 22.04.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 79/2025 धारा 137(2) / 87 / 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.03.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र सूरज 2.राकेश पुत्र अमर सिंह 3.यशपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 4.सचिन का बहनोई नाम नामालूम निवासी शिवालाकलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 79/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सचिन आदि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र सूरज निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिन पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.आरक्षी अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 22.04.2025**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 12 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 12 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	रग्घु पुत्र फग्गन नि0 ग्राम गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2	कोतवाली शहर	लक्ष्मण पुत्र लालमन नि0 ग्राम निजामतपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3	कोतवाली शहर	नबील पुत्र रहीसुद्दीन निवासी झकडी बांगर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
4	कोतवाली शहर	मोनू उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद निवासी मौ0 चाहशीरी बी 22 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
5	कोतवाली शहर	शहजाद पुत्र रशीद धोबी नि0 इस्लामनगर खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6	कोतवाली शहर	सोनू पुत्र मंगू सिंह नि0 मौ0 बकली लाईन पार पुलिया के पास थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
7	कोतवाली शहर	रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र त्यागी नि0 मौ0 बकली लाईन पार पुलिया के पास थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
8	नगीना देहात	शौकत पुत्र रफीक उर्फ बाबू निवासी ग्राम सरफुद्दीननगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
9	नगीना देहात	आसिफ पुत्र शकील निवासी लाहक कला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
10	अफजलगढ़	राजू पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम आलमपुर गावडी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
11	नगीना	वाजिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम मझेडा शकरु थाना नगीना जनपद बिजनौर
12	नगीना	राजीव उर्फ काला पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

थाना कोतवाली शहर

थाना नगीना देहात

थाना अफजलगढ़

थाना नगीना

थाना नगीना

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 22.04.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 90/2025 धारा 115(2)/117(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 02 डंडो सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.04.2025 को वादी श्री मूला सिंह पुत्र हरवंशा निवासी ग्राम मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 20.04.2025 को अभियुक्तगण 1.अरुण कुमार पुत्र सुरेश सिंह 2.देव कुमार पुत्र देवन सिंह निवासीगण पाना हीमपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी समारोह क दौरान वादी के पुत्र, भाई व भतीजे के साथ जान से नारने की नियत से मारपीट की गयी तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 115(2)/117(2)/109(1) बीएनएस बनाम अरूण आदि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र सुरेश सिंह 2.देव पुत्र देवन सिंह निवासीगण ग्राम पानाहीमपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डंडो के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अरूण कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम पानाहीमपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.देव पुत्र देवन सिंह निवासी ग्राम पानाहीमपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 लकडी के डंडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3.कां0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

4.कां0 2042 विनोद कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 22.04.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 221/2025 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.03.2025 को वादिया श्रीमती प्रदीपा पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्री श्री सुरेन्द्र निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम सुनपता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अंकित 2.वासू व 3.तन्नू पुत्रगण सीताराम 4.जीतू पुत्र नामालूम निवासीगण मौहल्ला कस्साबान मेरठ की चुंगी थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पिता के साथ गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 221/2025 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र सीताराम निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित पुत्र सीताराम निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 629/2018 धारा 363 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 221/2025 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/ 352 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.का0 904 विमल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर